भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-83
सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

बेरोजगारी दर

83. श्री संतोख सिंह चौधरीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बेरोजगारी की दर कितनी है;
(ख) देश में वर्ष 2020 के दौरान औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों क्षेत्रकों में अपना रोजगार गंवाने वाले व्यक्तियों की क्षेत्र-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) वर्ष 2020 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपना रोजगार गंवाने वाले व्यक्तियों की क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और
(घ) सरकार द्वारा देश के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से ग): रोजगार-बरोजगारी संबंधी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 2018-19 के दौरान आयोजित किए गए ऐसे पिछले सर्वेक्षण पर आधारित उपलब्ध सीमा तक सूचना जिसमें देश में सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर 5.8% थी तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु यह 5.0% तथा शहरी क्षेत्र हेतु 7.7% थी।

(घ): सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

कोविड-19 तथा इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के लॉकडाउन के कारण श्रम बाजार में चुनौतियों को कम करने के लिए, रोजगार चाहने वालों तथा नियोक्ताओं के मध्य अंतराल को पाटने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल, श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से ऑन-लाइन रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं जहां रोजगार प्रविष्टियों से लेकर अभ्यर्थी के चयन तक का पूर्ण चक्र पोर्टल पर ही पूर्ण किया जा सकता है। घर से कार्य तथा ऑन-लाइन प्रशिक्षणों हेतु एनसीएस पोर्टल के होम पेज पर एक विशेष लिंक बनाया गया है ताकि ऐसे रोजगारों हेतु रोजगार चाहने वालों को सीधे ही पहुंच प्रदान की जा सके। एनसीएस पर सभी सेवाएं मुफ्त हैं।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों से लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया है। अभियान में ग्रामीण अवसंरचना का विकास करने एवं गांवों में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाओं प्रदान कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से उनका व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

आत्म-निर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार ने एमजीनरेगा के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रु. उद्दिष्ट किए हैं। यह मानसून के मौसम में रहे प्रवासियों सहित अधिक कार्य के लिए कुल समाधानकारी आवश्यकता में लगभग 300 करोड़ व्यक्ति मानवदिवस सृजित करने में मदद करेगा।

व्यापार को राहत देने के लिए, 29 फरवरी, 2020 तक का बकाया ऋण की 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी, ब्याज की रियायती दर पर सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जा रही है। इकाइयों को स्वयं की कोई गारंटी या जमानत प्रदान नहीं करनी होगी।

*****